

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 15/2017

अनवान :

1. ओमप्रकाश पुत्र लादुराम जाति रेगर निवासी भादरा हाल निवासी वार्ड नं० 6 आदराम की हवेली के पास सिवानी तहसील सिवानी जिला भिवानी हरियाणा।

- वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र लादुराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 बिहारीपुराबास भादरा तहसील भादरा फौत
1ए. फुलीदेवी पत्नी नन्दराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 भादरा जिला हनुमानगढ राज०
1बी. गोरादेवी पुत्री नन्दराम, पत्नी भगवानाराम जाति रेगर निवासी सिवानी हरियाणा।
1सी. सावित्री पुत्री नन्दराम पत्नी चानणमल जाति रेगर निवासी सिवानी हरियाणा।
1डी. मोहनलाल पुत्र नन्दराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 कस्वा भादरा।
1ई. मायादेवी पुत्री नन्दराम, पत्नी नथुराम जाति रेगर निवासी डबवालीमन्डी तहसील जिला सिरसा हरियाणा।
1एफ. सन्तोष पुत्री नन्दराम, पत्नी लालचन्द जाति रेगर निवासी हांसी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
1जी. रमेश कुमार पुत्र नन्दराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 कस्वा भादरा जिला हनुमानगढ राज०
1एच. दीपिका पुत्री स्व. प्रभुदयाल जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 कस्वा भादरा जिला हनुमानगढ राज० नाबालिक जरिऐ माता केसर पत्नी प्रभुदयाल।
1आई. केसर पत्नी स्व. प्रभुदयाल जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 कस्वा भादरा।
2. मनोज कुमार पुत्र मोहनलाल जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 बिहारीपुराबास भादरा तहसील भादरा।
3. अजय कुमार पुत्र रमेश कुमार आयु 16 वर्ष जरिये इष्टमित्र स्वयं पिता रमेश कुमार पुत्र नन्दराम पुत्र लादुराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 बिहारीपुराबास भादरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं० 2, 3 व 1डी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :-

1. ओमप्रकाश वल्द लादुराम कौम रेगर सा० बिहारीपुराबास भादरा खातेदार : चक 9 बीएचडी मु०नं० 63 किला नं० 24/2 की 0.038 है० मु०नं० 64 के किला नं० 2/2 की 0.117 है०, किला नं० 2/3 की 0.021 है० किला नं० 3/2 की 0.101 है० किला नं० 4 की 0.240 है० किला नं० 8 की 0.253 है० किला नं० 9/1 की 0.051 है० किला नं० 9/3 की 0.107 है० किला नं० 12/2 की 0.107 है० किला नं० 13, 18 की 0.506 है० किला नं० 19/2 की 0.107 है०, किला नं० 22/2 की 0.055 है०,

किला नं० 23/1 की 0.128 है० किला नं० 24/1 की 0.128 है० कुल किता 15, रकबा 1.959 है०

2. नन्दराम वल्द लादुराम 0.696 है० मनोज कुमार वल्द मोहनलाल अजय कुमार वल्द रमेश कुमार 1.266 है० कौम रेगर सा० बिहारीपुराबास भादरा खातेदार के पास : चक 9बीएचडी के मु०नं० 64 के किला नं० 2/1 की 0.115 है० किला नं० 9/2 की 0.095 है०, किला नं० 10/1 की 0.109 है०, किला नं० 10/2 की 0.128 है०, किला नं० 10/3 की 0.016 है०, किला नं० 11/1 की 0.043 है० किला नं० 11/2 की 0.210 है० किला नं० 12/1 की 0.146 है० किला नं० 19/1 की 0.146 है० किला नं० 20, 21 की 0.506 है० किला नं० 22/1 की 0.198 है० किला नं० 23/2 की 0.125 है० किला नं० 24/2 की 0.125 है० कुल किता 14 रकबा 1.962 है० नहरी

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.1.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)

उपखण्डाधिकारी (R.A.S.)
भादरा उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्बा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 15/2017

अनवान :

1. ओमप्रकाश पुत्र लादुराम जाति रेगर निवासी भादरा हाल निवासी वार्ड नं० 6 आदराम की हवेली के पास सिवानी तहसील सिवानी जिला भिवानी हरियाणा।

- वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र लादुराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 बिहारीपुराबास भादरा तहसील भादरा फौत
1ए. फुलीदेवी पत्नी नन्दराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 भादरा जिला हनुमानगढ राज०
1बी. गोरादेवी पुत्री नन्दराम, पत्नी भगवानाराम जाति रेगर निवासी सिवानी हरियाणा।
1सी. सावित्री पुत्री नन्दराम पत्नी चानणमल जाति रेगर निवासी सिवानी हरियाणा।
1डी. मोहनलाल पुत्र नन्दराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 कस्बा भादरा।
1ई. मायादेवी पुत्री नन्दराम, पत्नी नथुराम जाति रेगर निवासी डबवालीमन्डी तहसील जिला सिरसा हरियाणा।
1एफ. सन्तोष पुत्री नन्दराम, पत्नी लालचन्द जाति रेगर निवासी हांसी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
1जी. रमेश कुमार पुत्र नन्दराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 कस्बा भादरा जिला हनुमानगढ राज०
1एच. दीपिका पुत्री स्व. प्रभुदयाल जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 कस्बा भादरा जिला हनुमानगढ राज० नाबालिक जरिऐ माता केसर पत्नी प्रभुदयाल।
1आई. केसर पत्नी स्व. प्रभुदयाल जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 कस्बा भादरा।
2. मनोज कुमार पुत्र मोहनलाल जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 बिहारीपुराबास भादरा तहसील भादरा।
3. अजय कुमार पुत्र रमेश कुमार आयु 16 वर्ष जरिये इष्टमित्र स्वयं पिता रमेश कुमार पुत्र नन्दराम पुत्र लादुराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 16 बिहारीपुराबास भादरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : जोत विभाजन एवं खाता तकशीम

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : वादी

वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : प्रतिवादी सं० 2, 3 व 1डी
निर्णय दिनांक : 21.1.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 9 बीएचडी के खाता सं० 55/50 के मु०नं० 63 के किला नं० 24/2 की 0.0380 है० नहरी व मु०नं० 64 के किला नं० 2 की 0.2530 है० व किला नं० 3/2 की 0.1010 है० व किला नं० 4, 8, 9 10 ता 13, 18 से 24 प्रत्येक की 0.2530 है०, इस प्रकार कुल 3.9210 है० नहरी भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें नन्दराम पुत्र लादुराम 0.696 है०, मनोज पुत्र मोहनलाल,

अजय कुमार पुत्र रमेश कुमार 1.265 है0 और वादी ओमप्रकाश पुत्र लादुराम का 1.960 है0 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपर वर्णित कुल वाद कृषि भूमि का खाता संयुक्त है। वादी व प्रतिवादीगण वाद भूमि को संयुक्त रूप से काश्त व माल लगान अदा करते आ रहे हैं परन्तु अब पक्षकारान में वाद भूमि में काश्त व लगान की बाबत आपस में तनाजा रहता है जिसके चलते वादी व प्रतिवादीगण को अपने अपने हिस्सा के मुताबिक अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी के अनुसार खाता व लगान अलग कायम करने के अधिकारी है।

तहसीलदार भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया था तहसीलदार भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज/आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :-

1. ओमप्रकाश वल्द लादुराम कौम रेगर सा0 बिहारीपुराबास भादरा खातेदार : चक 9 बीएचडी मु0नं0 63 किला नं0 24/2 की 0.038 है0 मु0नं0 64 के किला नं0 2/2 की 0.117 है0, किला नं0 2/3 की 0.021 है0 किला नं0 3/2 की 0.101 है0 किला नं0 4 की 0.240 है0 किला नं0 8 की 0.253 है0 किला नं0 9/1 की 0.051 है0 किला नं0 9/3 की 0.107 है0 किला नं0 12/2 की 0.107 है0 किला नं0 13, 18 की 0.506 है0 किला नं0 19/2 की 0.107 है0, किला नं0 22/2 की 0.055 है0, किला नं0 23/1 की 0.128 है0 किला नं0 24/1 की 0.128 है0 कुल कित्ता 15, रकबा 1.959 है0
2. नन्दराम वल्द लादुराम 0.696 है0 मनोज कुमार वल्द मोहनलाल अजय कुमार वल्द रमेश कुमार 1.266 है0 कौम रेगर सा0 बिहारीपुराबास भादरा खातेदार के पास : चक 9बीएचडी के मु0नं0 64 के किला नं0 2/1 की 0.115 है0 किला नं0 9/2 की 0.095 है0, किला नं0 10/1 की 0.109 है0, किला नं0 10/2 की 0.128 है0, किला नं0 10/3 की 0.016 है0, किला नं0 11/1 की 0.043 है0 किला नं0 11/2 की 0.210 है0 किला नं0 12/1 की 0.146 है0 किला नं0 19/1 की 0.146 है0 किला नं0 20, 21 की 0.506 है0 किला नं0 22/1 की 0.198 है0 किला नं0 23/2 की 0.125 है0 किला नं0 24/2 की 0.125 है0 कुल कित्ता 14 रकबा 1.962 है0 नहरी

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/1/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (R.A.S. स्व)
भदरा जिला हनुमानगढ़
भादरा, जिला हनुमानगढ़